प्रेस ब्रीफ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2018-19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं । तदनुसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) – राजस्थान सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर दिनांक 21.08.2020 को रखा जा चुका है । प्रक्रियानुसार, नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को जन लेखा समिति को सौंप दिया गया माना जाता हैं ।
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:-

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रकरण

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में 'प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है । निष्पादन लेखापरीक्षा के संक्षिप्त सार की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आवासहीन, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई थी । राज्य के लिए 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 6.87 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया ।

पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों, खंडो और ग्राम पंचायतों में यद्यपि आवास निर्माण की प्रगति अच्छी थी, तथापि योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ देखी गई । 7.15 लाख लाभार्थियों का डेटा अपलोड करने में विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें स्थायी वरीयता सूची में शामिल करने से इनकार करके पक्के आवास से वंचित कर दिया गया । भूमिहीन लाभार्थियों और दिव्यांगजन को निर्धारित सीमा तक सहायता प्रदान नहीं की गई। चयनित पूर्ण आवासों में से 31.02 प्रतिशत आवासों का लाभार्थियों द्वारा आवासीय उपयोग नहीं किया गया एवं 2.37 प्रतिशत आवास, जो आवास-सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शाएं गए, अपूर्ण थे । अन्य योजनाओं से अभिसरण कर पूर्ण आवासों मे आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालयों, बिजली, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ रसोई ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उद्देश्य निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं किया जा सका । रोचक है कि चयनित पूर्ण आवासों में से 49.15 प्रतिशत आवासों मे शौचालय नहीं थे जबकि राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है ।

राज्य नोडल खाते में केन्द्रांश एवं राज्यांश के विलम्ब से हस्तांतरण, लाभार्थियों को प्रथम किस्त के हस्तांतरण में विलम्ब, एक ही किस्त का लाभार्थियों को

दोहरा भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में फाल्स सक्सेस/रिजेक्ट प्रकरण, अंकेषण प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के मामले भी पाए गए ।
योजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण एवं निरीक्षण अपर्याप्त था। शिकायत निवारण तंत्र त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण रहा ।

(**अनुच्छेद** 2.1)

अनुपालन लेखापरीक्षा के बिन्दु

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान नियमों एवं विनियमों का अनुपालन नहीं किया जाना, औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं शासन में विफलता के दृष्टांत उजागर हुए ।

कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत निम्न है :

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्य पूर्णता के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नव निर्मित संग्रहालय भवन को उपयोग में ना लेने के कारण इस भवन के निर्माण पर ₹ 99.97 लाख का निष्फल व्यय ।

(**अनुच्छेद** 3.1)

भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता/असृजन के कारण विभाग द्वारा "बाजार हस्तक्षेप योजना" के अंतर्गत खरीदे गए लहसुन को अत्यंत सस्ते दामों पर बेचने की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 231.77 करोड़ की हानि । राज्य सरकार ने राज्य एवं केंद्र सरकार के हिस्से की हानि को रोकने के लिए प्रभावी विपणनकरण प्रणाली, गैर परम्परागत/नये बाज़ार विकसित करने तथा खुदरा केन्द्रों के माध्यम से बिक्री जैसे कदम नहीं उठाये जो कि योजना के दिशानिर्देशों में उल्लेखित है।

(**अनुच्छेद** 3.2)

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 1.47 करोड़ का अधिक/कम/अनियमित भुगतान । भविष्य में पेंशन के भुगतान में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृति रोकने के लिए विभाग के निर्देशों और जन लेखा समिति की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के अधिक/कम भुगतान की पुनरावृति हुई ।

(**अनुच्छेद** 3.3)

जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं बारां द्वारा पहल तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी बारां में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी विद्यालय भवन के निर्माण के अभाव के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के मूल प्रयोजन का विफल होना ।

(**अनुच्छेद** 3.4)

आवश्यकता का अनुचित मूल्यांकन और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सात वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 3.89 करोड़ का व्यय होने के पश्चात भी पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण नहीं होना, इसके साथ-साथ केन्द्रीय अनुदान की बकाया किश्त की राशि ₹ 3.36 करोड़ को प्राप्त करने में विफलता ।

(**अनुच्छेद** 3.5)

चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा के संवेदक से दोनों अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी के कारण फ्लाई ओवर के कार्य के लिए प्रदान की गई भूमि के किराये की राशि ₹ 23.33 करोड़ की वसूली का अभाव ।

(**अनुच्छेद** 3.6)

जन लेखा समिति को आश्वासन देने के बावजूद, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अनुसंधान अस्पताल 11 वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 19.30 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहा, इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा ।

(**अनुच्छेद** 3.7)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचइडी) के आठ परियोजना खण्डों में निष्पादित की गई, दो क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजनाओं, दो जलापूर्ति परियोजनाओं एवं एक पाइप लाइन के कार्य में डक्टाइल आयरन पाईपो की मूल्य वृद्धि की गणना स्टील घटक के लिए गलत मद के सूचकांक के आधार पर करने के कारण संवेदकों को ₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

(**अनुच्छेद** 3.8)

अधूरे कार्य को आगामी टाइम स्पान में पूर्ण नहीं करने पर गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य कर देने से संवेदकों को मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान । यदि मूल्य वृद्धि की गणना किसी विशेष टाइम स्पानों में किये गये कार्य के वास्तविक मूल्य के अनुसार की गई होती, तो संवेदकों को देय मूल्य वृद्धि की राशि ऋणात्मक ₹ 4.89 करोड़ परिणामित होती लेकिन इसके बजाय संवेदकों को ₹ 11.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जिससे उन्हें अदेय लाभ हुआ ।

(**अनुच्छेद** 3.9)

पाइपों की विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित अनुबंध की विशेष शर्त की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 10.09 करोड़ का अदेय लाभ हुआ

(**अनुच्छेद** 3.10)

स्थानीय निकायों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम में यथानिर्धारित परियोजनाओं के अनुमोदन के समय निर्माणकर्ताओं से ₹ 7.05 करोड़ तक के श्रम उपकर का संग्रहण नहीं किया गया

(**अनुच्छेद** 3.11)